न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 32 / 2024

अनवान : –

1. सावित्री पत्नी बलराम जाति जाट निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. कृष्णा पत्नी बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 28/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 202 / 107 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 19 / 19 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि गैरसायला संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायला अपनी कृषि भूमि 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 202 / 107 की कृषि भूमि में जाने के लिए अपने गांव से चलकर मंजुरशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 की कृषि भूमि के प0न0 301 / 380 मु0न0 2 के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में से होते हुए अपने खेत के प0न0 301 / 380 मु0न0 2 के किला न0 16 / 4 में प्रवेश करती है और इसी रास्ता से सायला सदामत से आवागमन करती चली आ रही है।

उक्त रास्ता पर काफी वर्षो से आपसी सहमति से आवागमन होता रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नही होने के कारण गैरसायल हमेशा रास्ता बंद करने की धमकी देती रहती है यदि ऐसा हो गया तो सायला अपने खेत में आवागमन नही कर सकेगी और फसल काश्त करने में परेशानी होगी और बुआई नही हो पायेगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा पाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त रास्ता को गै0मु0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो की शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला अपनी कृषि भूमि 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

202/107 की कृषि भूमि में जाने के लिए अपने गांव से चलकर मंजुरशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 की कृषि भूमि के प0न0 301/380 मु0न0 2 के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में से होते हुए अपने खेत के प0न0 301/380 मु0न0 2 के किला न0 16/4 में प्रवेश करती है और इसी रास्ता से सायला सदामत से आवागमन करती चली आ रही है। इसलिए रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के प0न0 301/380 मु0न0 2 के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि मे रास्ता स्वीकृत किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 202/107 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि गैरसायला संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया ने अपने खातेदारी में आवागमन हेतु रोही मौजा 4 आरपीएम के प0न0 301/380 मु0न0 2 के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 के खेत रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 के प0न0 301/380 मु0न0 2 के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ते के बदले की भूमि में सायला के खेत प0न0 301/380(2) के किला न0 17 के मिन दक्षिण की 0.013 हैक्ट भूमि कम की जाकर जो गैरसायल के किला न0 24 के चिपती है गैरसायल के नाम दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/रास्ता/2023/ 1101 दिनांकः– 29/10/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–32/2024 निर्णय दिनांक 28/10/2024।

प्रकरण संख्या – 32/2024
अनवान : –

1. सावित्री पत्नी बलराम जाति जाट निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. कृष्णा पत्नी बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 32/2024 अनवान सावित्री बनाम कृष्ण आदि में निर्णय दिनांक 28/10/2024 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे गैरसायलान संख्या 1 के खेत रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 के प0न0 301/380 मु0न0 2 के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ते के बदले की भूमि में सायला के खेत प0न0 301/380(2) के किला न0 17 के मिन दक्षिण की 0.013 हैक्ट भूमि कम की जाकर जो गैरसायल के किला न0 24 के चिपती है गैरसायल के नाम दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:33 IST
Reason: SelfAttested